छत्तीसगढ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/ 32 /2020/श्रम | नवा रायपुर, दिनांक 19 MAR 2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर जिला ....
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
3. समस्त जिला प्रमुख, श्रम विभाग छत्तीसगढ़

विषय :– **नोवेल कोरोना COVID-19 वायरस से संक्रमण के विस्तार की रोकथाम हेतु प्रवासी श्रमिकों के राज्य से बाहर जाने एवं राज्य के बाहर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में आने के संबंध में निर्देश ।**

****

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको विदित है कि देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नोवेल कोरोना COVID-19 वायरस से संक्रमण के कुछ प्रकरण संज्ञान में आये हैं। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश से कार्य हेतु प्रदेश से बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा राज्य में प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखा जाना आवश्यक है जिससे कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके।

अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत 5 अथवा 5 से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार/सट्टेदार/एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः नोवेल कोरोना COVID-19 वायरस से संक्रमण के विस्तार से बचाव हेतु अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना अनिवार्य है। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी ठेकेदार/सट्टेदार/एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाये बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जायेगा एवं अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में लेकर नही आयेगा।

उपरोक्तानुसार निर्देश संबंधित ठेकेदार/सट्टेदार/एजेण्ट की जानकारी में लाते हुए कार्यवाही तत्काल प्रभाव से आगामी 30 अप्रेल, 2020 तक सुनिश्चित किया जावे ।

19.03.2020

(सोनमणि बोरा)
सचिव सह श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

क्रमशः.....2

Scanned with CamScanner

पृ0क्रमांक/33/ 2020/श्रम नवा रायपुर, दिनांक 19 MAR 2020

प्रतिलिपि–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, छत्तीसगढ़ शासन।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।
3. ओ.एस.डी. माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ।
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन ।
5. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
6. सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन।
8. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन।
9. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
10. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम, समस्त प्रदेश/केन्द्र शासित प्रदेश ....
11. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन।
12. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
13. सचिव/आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन,
    की ओर सूचनार्थ ।
14. समस्त संभागायुक्त (राजस्व) ....
15. समस्त पुलिस अधीक्षक, ... की ओर भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि श्रमिकों के अवैधानिक प्रवास पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
16. समस्त श्रमिक संघ/समस्त उद्योग संघ ....
    सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 19.03.2020

सचिव सह श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

CS Scanned with CamScanner